

शुभ,

श्री लक्ष्मण सिंह,
बिबीय लखि,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा में,

लखि,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-3 लखनऊ केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

संलग्न दिनांक 27 अक्टू, 2000

विषय:- केन्द्र केन्द्रित स्कूल केन्द्रीय रोड, बलिया को सीओपीएचएचओ नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित पुर्णान पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह पत्र आने का निदेश हुआ है कि केन्द्र केन्द्रित स्कूल केन्द्रीय रोड, बलिया को सीओपीएचएचओ नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित पुर्णान पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापरित नहीं है:-

- 111 विद्यालय की परीक्षा सीतापट्टी का समय समय पर स्थानीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुचित जाति/अनुचित वर्णों के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थियों में विभिन्न जातों के लिये निर्धारित गुरुक से अधिक गुरुक नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापरित शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिल कार दि इन्फ्रम स्कूल तर्कीफिद इन्फ्रमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उस केन्द्रीय परिषदों की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था कीसिल वर्ष शिक्षापरत कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रवासी तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएंगी और उन्हें तत्कालता प्राप्त अत्याधुनिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे तैय्या उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उच्च शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उच्च प्रतिष्ठानों का पालन करना तैय्या के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह वादा जाता है कि तैय्या द्वारा उच्च प्रतिष्ठानों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या गिराविलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा वृद्धत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भाषदीप,

। सुरेन्द्र मिश्र ।
विशेष सचिव

पु०सं०-१११११/१५-७-२०००, तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आबमण्ड।
- 3- बिना विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
- 4- निरीक्षक, जगित भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सेन्ट कैथरिन स्कूल देवधरा रोड, बलिया।

आता है,

। सुरेन्द्र मिश्र ।
विशेष सचिव